

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpsmandiboard.gov.in

ईमेल आईडी - nivaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/MP Online 476 /1727

भोपाल, दिनांक 04/08/2025

प्रति,

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

जिला _____।(समस्त)

विषय - Sole Proprietorship Firm को जारी लाइसेंस प्रमाणपत्र में Firm के नाम के साथ Sole Proprietor का नाम प्रदर्शित किए जाने संबंध में।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अवगत कराया गया है कि मंडी समिति द्वारा Sole Proprietorship Firm को लाइसेंस जारी करते समय केवल Firm का नाम ही प्रमाणपत्र में प्रदर्शित हो रहा है, जबकि Sole Proprietor (स्वामी) का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

उक्त विषय में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए -

- I. Sole Proprietorship Firm की स्थिति में अपनाई जाने वाली कार्यवाही:
 1. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वह एक Sole Proprietorship Firm है, तो मंडी सचिव के लॉगिन पर प्राप्त आवेदन में, "आवेदक मंडी में जिस नाम से व्यवसाय करना चाहता है" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए

[Sole Proprietor का नाम] / [Sole Proprietorship Firm का नाम] उदहारण स्वरूप जैसे:
ABC Kumar / M/s ABC Traders

2. इसके पश्चात लाइसेंस आवेदन की नियमानुसार स्वीकृति (Approval) एवं डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signing) की कार्यवाही संपादित की जाए।

3. इस प्रक्रिया के पश्चात, लाइसेंस प्रमाणपत्र में Sole Proprietorship Firm के नाम के साथ-साथ Sole Proprietor (स्वामी) का नाम भी प्रदर्शित होने लगेगा।

- II. अन्य श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश:

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही केवल Sole Proprietorship Firm से संबंधित प्रकरणों में ही की जानी है। अन्य श्रेणियाँ जैसे कि: Partnership Firm, Company, FPO/FPC, HUF, Society Trust या अन्य कोई गैर-व्यक्तिगत संस्थाएँ, में इस प्रकार की प्रविष्टि/संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं अतः इन प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाही न की जाए।

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/MP Online 476 /1728

भोपाल, दिनांक 04/08/2025

प्रतिलिपि :-

संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय _____ (समस्त) म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल